राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.16(4)परि/लेखा/बजट/2012/1420 दिनांक :– 10/5/12

आदेश संख्या :– ..... 07 ...../2012

विभागीय आदेश क्रमांक 8/2007 दिनांक 24.02.2007 के अंतर्गत परिवहन विभाग में वाहन किराये पर लेने हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर अनुबंध करने के लिए समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(1)वित्त–1(1)बजट/2012 दिनांक 10.02.2012 द्वारा पूर्व में जारी सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में नवीन दिशा निर्देश प्रदान किये जाने पर, विभाग द्वारा पूर्व में जारी विभागीय आदेशों के क्रम में मार्गदर्शन प्राप्त करने पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रदान किया है :–

1. "परिपत्र दिनांक 10.02.2012 के बिन्दु संख्या "5" में स्पष्ट किया गया है कि वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, समिति को तुलनात्मक रूप से नवीन मॉडल का वाहन लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी विभाग को यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग में आवश्यकतानुसार एक या दो वर्ष पुराने वाहन किराये पर लिये जा सकते है।
2. परिपत्र दिनांक 10.02.2012 निविदा आमंत्रण कर वाहन किराये पर लेने से मना नहीं करता है। यदि विभाग को लगता है कि निविदा आमंत्रित कर, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर, कम दरों पर नवीन वाहन किराये पर लिये जा सकते है तो विभाग निविदा आमंत्रण पर विचार कर सकता है।
3. उक्त आदेशों में उल्लिखित समिति इस आदेश के प्रावधानों से संबंधित है। अतः यदि निविदा आमंत्रित कर वाहन किराये पर लिये जाने है तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानुसार समिति के गठन की आवश्यकता होगी।"

अतः वित्त विभाग से आई.डी. क्रमांक 161200591 दिनांक 03.05.2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी नवीन परिपत्र दिनांक 10.02.2012 में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (क्रमशः 15000, 18000 एवं 21000 रू.) के अंतर्गत विभागीय राजस्व गतिविधियों के लिये किराये पर वाहन लेने हेतु जारी की जानी वाली खुली निविदाओं के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या 8/2007 दिनांक 24.02.2007 में निर्धारित शर्तो को यथावत रखते हुए, वाहन अनुबंध करने की प्रक्रिया अमल मे लाई जावें।

यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में वाहन किराये की अव्यवहारिक (अनटेनेबिल) दरों को स्वीकार नहीं किया जावें।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन प्रमुख शासन सचिव

1421 – 1427
10/5/12

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण। A-B-S
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारीगणों को लेख है कि इस आदेश की एक–एक प्रति जिले के समस्त परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित करें।
7. सहायक लेखाधिकारी निरीक्षण दल (मुख्यालय)।

10/5/2012

वित्तीय सलाहकार